

मत्स्य निदेशालय
ऑफिसर्स हॉस्टल, ब्लॉक-ए, बेली रोड, पटना
आदेश

पंशु एवं मत्स्य संसाधन (मत्स्य) विभाग के स्वीकृत्यादेश संख्या 18 दिनांक 14.11.2011 द्वारा राज्य सरकार ने मत्स्य निदेशालय अधीनस्थ जिला मत्स्य कार्यालय के मत्स्य प्रसार कार्य को सुदृढ करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर राज्य के मत्स्य संसाधन से समृद्ध मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, दरभंगा एवं मधुवनी जिले के 100 प्रखंडों हेतु कुल 100 मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के पदों का सृजन तथा संविदा के आधार पर नियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त स्वीकृत्यादेश के अनुरूप चयनित मत्स्य प्रसार पदाधिकारी ने संविदा के आधार पर नियोजन संबंधी एकरारनामा किया है। एकरारनामा किए गए निम्नांकित मत्स्य प्रसार पदाधिकारी को संविदा के आधार पर उनके नाम के सामने अंकित स्तम्भ 5 में जिला मत्स्य कार्यालय में मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के रिक्त पद के विरुद्ध ₹ 15,000/- (पन्द्रह हजार) मात्र के नियत पारिश्रमिक भुगतान के आधार पर नियुक्त कर पदस्थापित किया जाता है। इन्हें पारिश्रमिक योगदान की तिथि से देय होगा।

पदस्थापित स्थान पर योगदान करने के पूर्व अपने नियंत्री पदाधिकारी को नियमानुसार स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र समर्पित करना होगा।

क्र० सं०	नाम	पिता/पति का नाम एवं पता	आरक्षण श्रेणी	पदस्थापित जिला का नाम
1	2	3	4	5
1	सुश्री अंजलि पुष्प	पिता- श्री नलिन विनोद पुष्पराज अम्बेदकर डेंटल कॉलेज, बेली मार्ग, रामजयपाल नगर जिला- पटना 801503	अनारक्षित	जिला मत्स्य कार्यालय, मुजफ्फरपुर

- संविदा पर नियोजित उपर्युक्त मत्स्य प्रसार पदाधिकारी 15 दिनों के अन्दर संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी के पास अपना योगदान देंगे। जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा योगदान दिए गए मत्स्य प्रसार पदाधिकारी को प्रखंड आवंटित किया जाएगा जहाँ इनका मुख्यालय राज्यादेश सं०- 574 दिनांक 16.02.2016 के कंडिका - 5 के अनुसार होगा।
- उपर्युक्त उम्मीदवारों को पदस्थापित स्थान पर योगदान करने की तिथि से उनका नियोजन आरंभ मानते हुए उन्हें निर्धारित पारिश्रमिक का भुगतान अनुमान्य होगा। अनुपस्थित अवधि के लिए पारिश्रमिक की समानुपातिक राशि काटकर ही शेष पारिश्रमिक भुगतेय होगा।
- पारिश्रमिक का भुगतान बजट शीर्ष 2405-मछली पालन -001- निदेशन तथा प्रशासन-0102-मत्स्य प्रसार योजना, विपत्र कोड- 02-2405000010102 के अधीन 0102.28.02-संविदा सेवाओं विषयशीर्ष में स्वीकृत एवं आवंटित राशि से किया जाएगा।
- यह नियोजन, नियोजन की तिथि से एक वर्ष के लिए किया गया है। उक्त तिथि के पश्चात् अन्यथा कोई निदेश जारी नहीं होने की दशा में, नियोजन स्वतः समाप्त हो जायेगा।

ह०/-

निदेशक मत्स्य

बिहार, पटना।

१०५०३१०

ज्ञापांक / म० / विविध पत्रा०-४० / २०११..... /

दिनांक.....

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
निदेशक मत्स्य
बिहार, पटना।

ज्ञापांक / म० / विविध पत्रा०-४० / २०११..... /

दिनांक.....

प्रतिलिपि- जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
निदेशक मत्स्य
बिहार, पटना।

ज्ञापांक / म० / विविध पत्रा०-४० / २०११..... /

दिनांक.....

प्रतिलिपि- संबंधित मत्स्य प्रसार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
निदेशक मत्स्य
बिहार, पटना।

ज्ञापांक / म० / विविध पत्रा०-४० / २०११..... /

दिनांक ४/११/१८

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, पटना को प्रेषित एवं अनुरोध है कि इसे विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने की कार्रवाई किया जाय।

मत्स्य निदेशक,
बिहार, पटना